

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :-स. 3-3-(01)स्था/मंत्रा/अभि/16/10017-59 दिनांक :- 8/9/16  
प्रेषिति :-


समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान।

विषय:-मंत्रालयिक संवर्ग के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों  
की संविदा पर सेवाए लेने के संबंध में।

प्रसंग:-र.रिपोर्ट/7(1)विविध/अभि/14/पार्ट/9546-52 दिनांक 30.08.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 24.08.2016 को माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गृह अभियोजन विभाग की समीक्षा मीटिंग आयोजित हुई जिसके अनुसार अभियोजन विभाग में भारी संख्या में लिपिक एवं च.श्रे. कर्मचारी के पद रिक्त होने पर चिन्ता जाहिर करते हुए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के लिए प्रयास किये जाने। तथा जिला कलेक्टर/उप/सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय के बाहर विज्ञप्ति चस्पा करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.05.2014 एवं 10.02.2016 के अनुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को संविदा पर लेने बाबत उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति चस्पा करें।

  
(अशोक कुमार बन्नावत)  
उप निदेशक अभियोजन,(मु.)  
राजस्थान जयपुर।